अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय-5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रबंध

5.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस तथा लाईसैंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी (आर.एल.ए.) की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विभाग का सामान्य अधीक्षण आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सी.) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है।

माल ढोने वाले वाहनों पर दो प्रकार के कर उद्गृहीत किए जाते हैं; माल कर तथा टोकन टैक्स। माल कर माल ढोने के लिए देय है तथा हरियाणा में यथा लागू पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) के अंतर्गत उद्गृहीत किया जाता है। टोकन टैक्स, रोड़ टैक्स है तथा हरियाणा में यथा लागू पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1924 की धारा 3 (1) के अंतर्गत उद्गृहीत किया जाता है। दोनों के लिए कर की वार्षिक दर सकल वाहन भार के आधार पर नियत की जाती है तथा तिमाही रूप से देय हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017-18 के दौरान टोकन टैक्स, परमिट फीस, फिटनेस/नवीकरण फीस, यात्री एवं माल पर कर तथा पेनल्टी से संबंधित 107 इकाइयों में से 84 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 16,180 मामलों में ₹ 8.17 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित

श्रेणियों के अंतर्गत **तालिका 5.1** में वर्णित हैं:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट फीस की अवसूली/कम वसूली	455	0.68
2.	पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के कारण फिटनेस/नवीकरण फीस की अवसूली	6,541	0.42
3.	ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	384	0.73
4.	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स	4,079	1.47
	• यात्री कर	1,400	1.25
	• माल कर	2,340	2.84
5.	विविध अनियमितताएं	981	0.78
योग		**16,180**	**8.17**

चार्ट 5.2

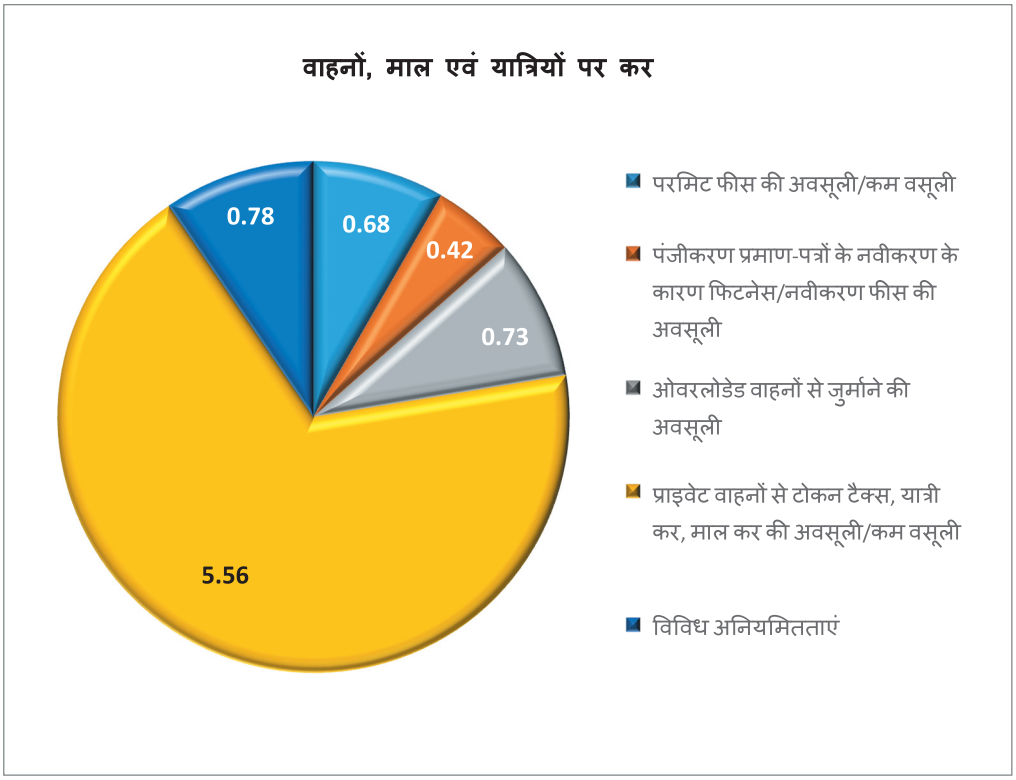

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,905 मामलों में ₹ 2.78 करोड़ के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 2.74 करोड़ से आवेष्टित 2,889 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 16 मामलों में ₹ 3.32 लाख वसूल किए जो पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 2.78 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों का निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

आबकारी एवं कराधान विभाग

5.3 माल कर की अवसूली

माल ढोने वाले 1,584 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 61.33 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 09 जुलाई 2015 से लोडिंग क्षमता के आधार पर निर्धारित दरों[1] पर राज्य में अथवा राज्य में चलने अथवा राज्य से गुजरने पर सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राहय है। कर, समान त्रैमासिक किश्तों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.पी.जी.टी.) नियम, 1952 का नियम 22 प्रावधान करता है कि यदि अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत किसी मालिक द्वारा कोई राशि देय है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी मांग नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस जारी करने की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की तारीख नियत करेगा तब तक मालिक ऐसे भुगतान के प्रमाण में प्राप्त किया गया चालान प्रस्तुत कर सकता है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 (बी) के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन का मालिक कर का भुगतान न की गई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

15 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) कार्यालयों[2] के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने वाले 1,584 वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 1.62 करोड़ का माल कर जमा नहीं करवाया। विभाग द्वारा कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे, न ही देयों की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु कोई प्रणाली थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ के माल कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 61.33 लाख[3] का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) सोनीपत तथा जींद ने जनवरी तथा

1

सकल वाहन भार	प्रतिवर्ष कर की राशि (₹)
1.2 टन तक	छूट प्राप्त
1.2 टन से अधिक लेकिन 6 टन से अधिक नहीं	6,000
छ: टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं	7,200
16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं	12,000
25 टन से अधिक	18,000

2 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

3 मार्च 2018 तक परिकलित ब्याज।

अप्रैल 2018 में बताया कि ब्याज सहित ₹ 3.95 लाख का माल कर वसूल किया गया था तथा ₹ 36.87 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए शेष वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। चार डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)[4] ने बताया (अक्तूबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि कर अदा न करने वाले वाहन मालिकों से ₹ 44.69 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे/प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. सिरसा ने बताया (जुलाई 2018) कि 22 मामलों में ₹ 3.14 लाख की राशि वसूल की गई है तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए गए हैं। शेष आठ डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) से उत्तर प्राप्त नहीं हुए है।

मामला जुलाई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। नवंबर 2018 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई तथा वसूली की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकता है।

परिवहन विभाग

5.4 टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली

माल ढोने वाले 1,305 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 18.42 लाख वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 36.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

जनवरी 2006 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार टोकन टैक्स सकल वाहन भार[5] के आधार पर अग्रिम में उद्ग्राह्य होगा तथा समान तिमाही किस्तों में देय है। तिमाही किस्तों का भुगतान प्रत्येक तिमाही के पहले दिन किया जाना चाहिए। कर उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु ऐसी तिमाही अवधियों में किसी खंडित अवधि को संपूर्ण तिमाही के रूप में माना जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 9 प्रावधान करती है कि प्रावधानों के अनुपालन में चूक के प्रकरण में प्रत्येक तिमाही के लिए मई, अगस्त, नवंबर तथा फरवरी के पहले दिन से देय टोकन टैक्स पर एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। तथापि, पेनल्टी की अधिकतम राशि, देय कर की दोगुनी राशि से अधिक नहीं होगी।

नौ सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.)[6] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 1,305 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया। टोकन टैक्स वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके

---

4 अंबाला, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा रेवाड़ी।

5

सकल वाहन भार	प्रतिवर्ष कर की राशि (₹)
1.2 टन तक	300
1.2 टन से अधिक लेकिन छः टन से अधिक नहीं	1,200
छः टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं	2,400
16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं	3,500
25 टन से अधिक	4,500

6 फरीदाबाद, हिसार, जींद, करनाल, नारनौल, नूंह, पंचकूला, पानीपत तथा सोनीपत।

परिणामस्वरूप ₹ 18.42 लाख की राशि के टोकन टैक्स की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार ₹ 36.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर पांच आर.टी.ए.[7] ने बताया (नवंबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि ₹ 0.64 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 21.00 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। शेष चार आर.टी.ए. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला मई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

सरकार रोड़ साईड चैकिंग टीम को डिफाल्टर वाहनों के पंजीकरण नंबर के बारे अलर्ट जारी करने पर विचार कर सकती है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

[7] हिसार, जींद, नारनौल, पंचकूला तथा सोनीपत।